MJC NO.23/2023

<u>बसुबाई विरूद्ध दिलीप</u>

08.02.2023 आवेदिका की ओर से श्री कैलाश कोठे अधिवक्ता उप0।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अधिकरण के आदेशानुसार बैंक खाता में जमा की गई प्रतिकर राशि की एफ.डी. का परिपक्वता पूर्व भुगतान के आवेदन के संबंध में दिये गये आदेश के पालन में मूल क्लेम प्रकरण अभिलेखागार से तलब कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन/शपथ–पत्र पर आवेदिका के अभिभाषक को सुना गया।

आवेदिका की ओर से बताया गया कि आवेदिका के पुत्र दिनेश का रोड़ एक्सीडेंट हो गया है जिसके ईलाज के लिए आवेदिका को रूपयों की आवश्यकता है एवं आवेदिका ने रिश्तेदारों से कर्जा लिया जो ब्याज सहित अदा करना है। आवेदिका के पास अन्य कोई व्यवस्था नही है जिससे कि वह अपने पुत्र का ईलाज करवा सके व कर्जा अदा कर सके एवं आवेदिका विधवा महिला है वह हमेशा बिमार रहती है। आवेदिका के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है, जिससे कि वह अपने पुत्र के ईलाज व कर्जा चुकाने के लिए राशि की व्यवस्था कर सके, जिस हेतु उसे एफ0डी0राशि की आवश्यकता है। आवेदिका को राशि की जरूरत होने से परिपक्वता पूर्व भुगतान करने का निवेदन किया है।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण का, प्रस्तुत एफ.डी.रसीद एवं रीडर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अधिकरण के आदेशानुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर मार्ग खरगोन में दिनांक 22.06.2022 से दिनांक 22.06.2025 तक की अवधि के लिये आवेदिका बसुबाई की 5,86,608/–रूपये सावधि जमा की गई है।

मूल क्लेम प्रकरण दिनांक 17.05.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं दिनांक 27.10.2021 को पारित आदेशानुसार आवेदिका को 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते माध्यम से नगद भुगतान की जाकर शेष 50 प्रतिशत राशि तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की गई थी। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन में आवेदिका के पुत्र दिनेश के श्रीमिनेश हास्पीटल इंदौर के मेडिकल दस्तावेज पेश किये हैं, साथ ही अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अतः आवेदिका की ओर से दर्शाया गया कारण उचित प्रतीत होता है। फिर भी आवेदिका की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका के पक्ष में जमा कुल राशि में से 2,86,000/–रूपये उसे नगद दिये जाकर शेष राशि पुनः शेष अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किये जावें।

अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदिका के द्वारा मूल एफ0डी0 रसीद पेश करने पर

एफ0डी0राशि में से 2,86,000/- रूपये अदा की जावें एवं शेष राशि पुनः दिनांक 22.06.2025 तक सावधि खाते में जमा की जावें। इस आशय का बैंक को पत्र लिखा जावें।

आवेदिका की पहचान श्री कैलाश कोठे अधिवक्ता द्वारा की गई है।

प्रपत्र मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेखागार में भेजे जावे।

Anil Dandeliya

Digitally signed by Anil Dandeliya
Date: 2023.02.08 13:59:24 +05'30'

(ए0के0 दंदेलिया)
सदस्य अति.मो.दुर्घ.दावा अधि.,
प.नि. खरगोन (म0प्र0)